उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
(पूर्व पर्यावरण अनुभाग-2)
संख्या-15/2019/एन.जी.टी.-259/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2016
लखनऊ: दिनांक: 14 जून, 2019

कार्यालय ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गंगा नदी के संरक्षण एवं उद्धार हेतु ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.08.2018 द्वारा निम्न अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है-

i. मा0 न्यायमूर्ति श्री अरूण टण्डन -अध्यक्ष
ii. डा0 अनीता राय, पूर्व आई0पी0एस0 -सदस्य
iii. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित प्रतिनिधि -सदस्य
iv. आई0आई0टी0 द्वारा नामित प्रतिनिधि -सदस्य

मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 06.08.2018 में निर्देश दिये गये कि उपरोक्त अनुश्रवण समिति द्वारा मा0 अधिकरण के पूर्व आदेशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही की समीक्षा की जाएगी तथा मा0 अधिकरण के पूर्व आदेशों के अनुपालन का अनुश्रवण एवं ऑडिट करते हुए समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत की जाएगी।

2- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 द्वारा Implementation Committee गठित की गई। मा0 अधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया कि Implementation Committee विस्तृत रूप से ऐक्शन प्लान प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट लागू करने के लिए मैनर एवं मैथेडोलॉजी टेक्नोलॉजी सहित तथा स्थल पर प्रोजेक्ट की शुरूआत एवं पूर्ण होने और प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में अनुश्रवण करेगी।

पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-एन0जी0टी0-348/55-पर्या-2-2017-10(पर्या)/2008 टी.सी. दिंनाक 18.07.2017 द्वारा Implementation Committee निम्नवत् गठित की गई-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

i. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग -अध्यक्ष

ii. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग -सदस्य

iii. संबंधित अधिशासी निदेशक, नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा -सदस्य

iv. श्री संदीप, निदेशक (टी0-II) नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा -सदस्य

v. डॉ0 ए0बी0 अकोलकर, वर्तमान सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड -सदस्य

vi. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड -सदस्य

vii. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम -सदस्य

viii. नगर आयुक्त, नगर निगम -सदस्य

ix. संबंधित प्रोफेसर या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि (आई0आई0टी0, रूड़की) -सदस्य

x. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग -सदस्य

xi. संबंधित निदेशक, नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा -नोडल ऑफिसर

3- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 मे पारित आदेश दिनांक 26.04.2019 में प्रदेश के प्रमुख वायु प्रदूषित शहरों एवं क्रिटिकली/सीरियसली प्रदूषित क्षेत्रों में व्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण, प्रदेश की नदियों में विशेषकर प्राथमिकता वाले नदी खण्डों के प्रदूषण नियंत्रण, प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन, परिसंकटमय अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन अपशिष्ट प्रबन्धन, ई-वेस्ट प्रबन्धन, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (ई0टी0पी0), संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (सी0ई0टी0पी0) की स्थापना/संचालन से संबंधित कार्ययोजनाओं एवं नियमावलियों के अनुपालन का अनुश्रवण मुख्य सचिव, उ0प्र0 द्वारा करते हुए त्रैमासिक अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश दिनांक 26.04.2019 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश में गंगा नदी की जल गुणता के संरक्षण एवं

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण का अनुश्रवण करते हुए मा0 अधिकरण के समक्ष अनुपालन आख्या नियमित रूप से प्रस्तुत की जानी है।

4- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 मे मा0 अधिकरण के स्तर से गठित विभिन्न समितियों के अग्रेत्तर कार्य किये जाने के संबंध में दिनांक 26.04.2019 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं, जिसके सुसंगत अंश निम्न प्रकार हैं-

" 26. Vide order dated 05.03.2019, dealing with State of Himachal Pradesh, it has been directed that the Apex Committee is to conclude its proceedings by 30.04.2019 and furnish its final report. Thereafter, monitoring at apex level can be done by MoEF&CC and CPCB in terms of Rules 5 and 14 of the SWM Rules respectively and direction of this Tribunal vide order dated 22.12.2016 [Para 43(9)]. However, the State Level Committees as directed by the Tribunal headed by retired Judges and the Chief Secretaries will continue including the State and District Level Committees. After expiry of the six months term of the Committees, the Chief Secretary may take a decision whether such Committees are required to continue further. This direction is being issued as the Chief Secretaries have taken over the monitory".

5- उपरोक्त प्रस्तर-4 में वर्णित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 26.04.2019 में दिये गये निर्देशों के दृष्टिगत् मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.08.2018 द्वारा गठित उक्त अनुश्रवण समिति को समाप्त करते हुए प्रदेश में गंगा नदी में प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण, जल गुणता संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु संचालित परियोजनाओं की उपयुक्तता एवं प्रगति के आंकलन हेतु मा0 अधिकरण के पूर्व आदेश दिनांक 13.07.2017 एवं उक्त प्रकरण में पारित अन्य आदेशों के अनुपालन हेतु पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-एन0जी0टी0-348/55- पर्या-2-2017-10(पर्या)/ 2008टी.सी. दिंनाक 18.07.2017 द्वारा गठित Implementation Committee निम्नानुसार पुनर्गठित की जाती है-

i. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग -अध्यक्ष

ii. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग -सदस्य

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

iii. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग -सदस्य

iv. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग -सदस्य

v. निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन -सदस्य

vi. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 -सदस्य

vii. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड -सदस्य

viii. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालयनार्थ जोन, लखनऊ -सदस्य

ix. निदेशक, तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली -सदस्य

x. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम -सदस्य

xi. निदेशक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ -सदस्य

xii. डॉ0 ए0ए0 काजमी, प्रोफेसर, (आई0आई0टी0, रूड़की) -सदस्य

xiii. समिति के अध्यक्ष द्वारा यथावश्यकता नामित औद्योगिक संगठनविशेषज्ञ, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि आदि -सदस्य

xiv. अपर निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश -नोडल ऑफिसर

6- उपरोक्त बिन्दु सं0-5 के अन्तर्गत Implementation Committee के कार्य दायित्व एवं Terms of References निम्नानुसार होंगें-

i. मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 तथा मा0 अधिकरण द्वारा गंगा नदी में प्रदूषण नियंत्रण एवं नदी जल संरक्षण हेतु पारित अन्य आदेशों के अनुपालन की स्थिति का अनुश्रवण किया जाएगा।

ii. गंगा नदी के क्षेत्र में स्थापित सीवेज उपचार संयंत्रों एवं सी0ई0टी0पी0 का संचालन मानकों के अनुरूप किये जाने की स्थिति, कार्यरत सीवेज उपचार संयंत्रों एवं सी0ई0टी0पी0 को अपग्रेड किये जाने संबंधी परियोजना की प्रगति तथा प्रस्तावित संयंत्रों की स्थापना संबंधी प्रगति का अनुश्रवण किया जाएगा।

iii. गंगा नदी के क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के चिन्हिकरण एवं अधिसूचित किये जाने की समीक्षा।

iv. गंगा नदी में औद्योगिक उत्प्रवाह से प्रदूषण के नियंत्रण की समीक्षा ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

v. गगा नदी के क्षेत्र में स्थानीय निकायों में नियमानुसार ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की स्थिति की समीक्षा ।

vi. गंगा नदी के विभिन्न नदीखण्डों में ई-फ्लो को मेन्टेन किये जाने तथा नदी में अविरल जल प्रवाह सुनिश्चित किये जाने की स्थिति।

vii. गंगा नदी की जलगुणवत्ता के अनुश्रवण की समीक्षा तथा नदी जल गुणता के संरक्षण हेतु कार्यवाही की समीक्षा।

viii. गंगा नदी की जल गुणता से सम्बन्धित अन्य विषय-बिन्दु।

ix. Implementation Committee द्वारा गंगा नदी के क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति के आंकलन एवं संचालित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु यथा आवश्यकता उपसमितियां गठित कर स्थलीय भ्रमण कराकर स्थिति का आंकलन करायेगी।

x. Implementation Committee द्वारा उपरोक्त अनुश्रवण के आधार पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल किए जाने हेतु त्रैमासिक अनुपालन की स्थिति की रिपोर्ट का आलेख्य तैयार कर उसे पर्यावरण विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव, उ0प्र0 के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या-15/2019/एन.जी.टी.-259/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2016, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. रजिस्ट्रार, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।
2. सचिव/निजी सचिव, अध्यक्ष (मा0 न्यायमूर्ति श्री अरूण टण्डन), ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में गठित अनुश्रवण समिति।
3. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
4. महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
5. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास/सिंचाई/कृषि/पंचायती राज/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/आवास एवं शहरी नियोजन/भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर/उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज/पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर एवं महाप्रबन्धक, उत्तर रेलवे बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
10. निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0।
11. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, कानपुर।
12. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।।
13. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, नार्थ जोन, लखनऊ।
14. परियोजना निदेशक, तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
15. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
16. निदेशक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ।
17. डॉ0 ए0ए0 काजमी, प्रोफेसर, (आई0आई0टी0, रूड़की)।
18. अपर परियोजन निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश।
19. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।